शव प्रबंधन – COVID-19

Based on
https://www.mohfw.gov.in/pdf/1584423700568_COVID19GuidelinesonDeadbodymanagement.pdf

कोरोना से हुई मृत्यु के बाद शव प्रबंधन

- शव परीक्षण के दौरान मृत COVID रोगी के केवल फेफड़े संक्रामक हो सकते हैं
- स्वास्थ्य सेवा प्रदाता पीपीई किट का उपयोग करें
- शव पर लगे सभी ट्यूब, नलियां और कैथेटर्स हटा दें
- मृत शरीर के मुँह एवं नाक के छिद्रों को बंद कर दें ताकि किसी भी प्रकार के शारीरिक द्रव का रिसाव न हो
- शव को रिसाव रहित प्लास्टिक बैग में रखें
- बैग के बाहरी हिस्से को 1% सोडियम हाइपोक्लोराइट के घोल से साफ़ करें
- बैग को चादर (जो परिवार वाले देना चाहें) से लपेट सकते हैं
- आइसोलेशन कमरे की सभी सतहें (फर्श, बिस्तर, रेलिंग,साइड मेज, IV स्टैंड आदि) को 1% सोडियम हाइपोक्लोराइट के घोल से ३० मिनट तक साफ़ करें

कोरोना से हुई मृत्यु के बाद शव प्रबंधन

- प्लास्टिक बैग (जिसमें शव रखा है) के बाहरी हिस्से को कीटाणुरहित करने के बाद स्वास्थ्य कर्मचारियों को शव से संक्रमण का कोई ख़तरा नहीं है
- शव को ले जाने वाले वाहन को 1% सोडियम हाइपोक्लोराइट से साफ करें
- श्मशान घाट के स्टाफ को समझाएं कि, COVID 19 अतिरिक्त जोखिम पैदा नहीं करता है
- यदि परिवार वाले मृतक का चेहरा देखना चाहें तो सावधानियों का पालन करते हुए उन्हें चेहरा दिखा दें
- धार्मिक संस्कार जैसे धार्मिक किताब से पढ़ना, पवित्र जल छिड़कना या अन्य कोई क्रिया जिसमें शव को छूने की आवश्यकता नहीं है, की अनुमति दी जा सकती है
- मृत शरीर को नहलाने, छूने व गले लगाने की अनुमति न दें

कोरोना से हुई मृत्यु के बाद शव प्रबंधन – Infographic

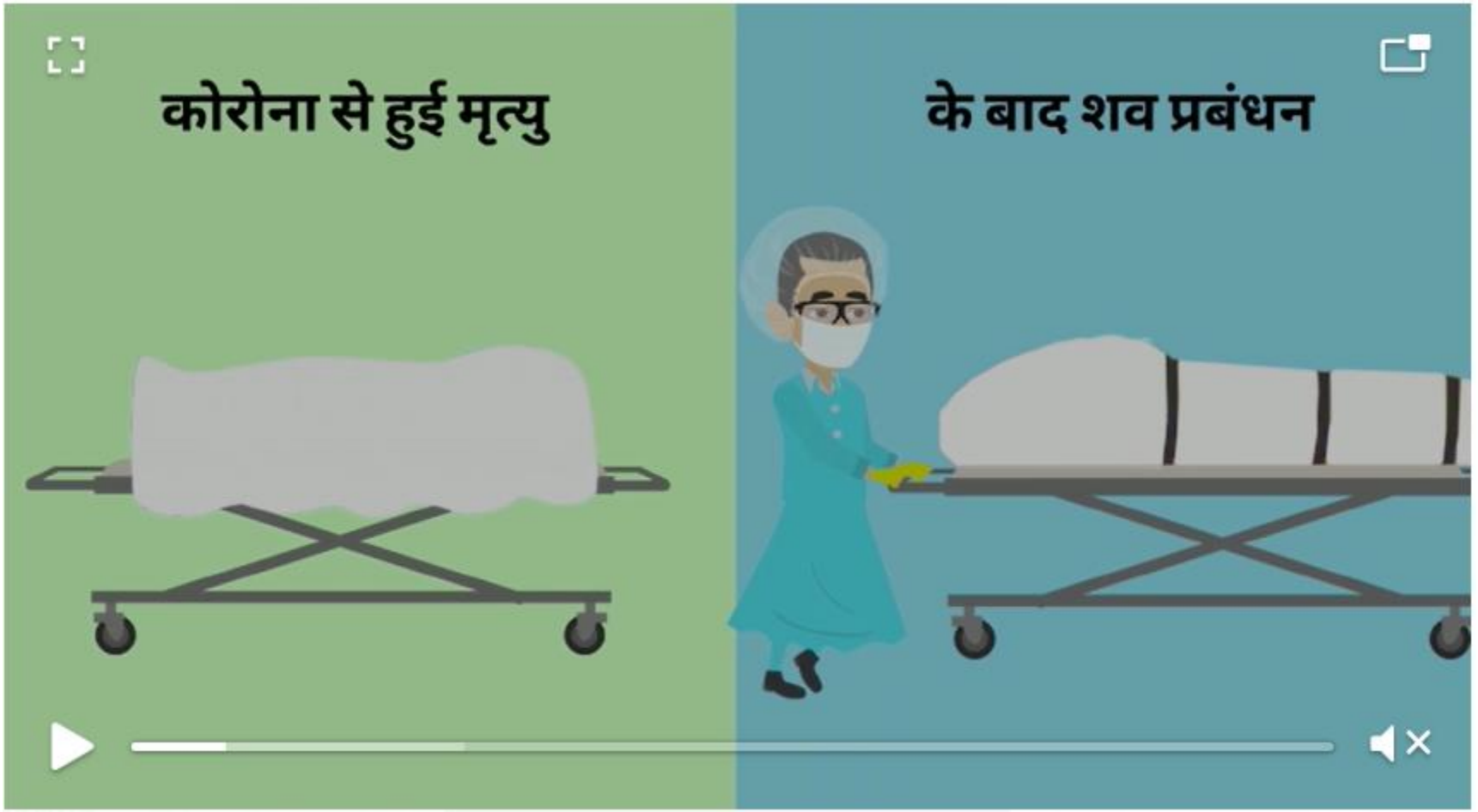

Click on the link: https://clintonhealth.app.box.com/file/670000884275

धन्यवाद!